रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012023-241887
CG-DL-E-11012023-241887

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 11, 2023/पौष 21, 1944
No. 177] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 11, 2023/PAUSHA 21, 1944

## इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2023

**का.आ. 185(अ).**—केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोटक महिंद्रा बैंक और इसके सहयुक्त आश्रितताओं के कंप्यूटर संसाधनों को नाजुक सूचना अवसंरचना होने के कारण महत्वपूर्ण बैंककारी समाधान (*कोर बैंकिंग सोल्यूशन*), वास्तविक समय समग्र निपटान (*रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट*), राष्ट्रीय इलैक्ट्रोनिकी निधि अंतरण (*नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर*), तुरंत भुगतान सेवा स्विच (*इमीडिएट पेमेंट सर्विस स्विच*), स्वचालित टेलर मशीन स्विच (*ऑटोमेटिड टेलर मशीन स्विच*), एकीकृत भुगतान इंटरफेस स्विच (*यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस स्विच*) और सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्यूनिकेशन सिस्टम्स से संबंधित कंप्यूटर संसाधनों को, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए एतद्वारा संरक्षित प्रणाली घोषित करती है और निम्नलिखित कार्मिकों को संरक्षित प्रणालियों तक पहुंच बनाने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

(क) संरक्षित प्रणाली तक पहुंच बनाने के लिए, कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोटक महिंद्रा बैंक का कोई अभिहित कर्मचारी;

(ख) संविदातमक प्रबधित सेवा-प्रदाता या तृतीय पक्षकार विक्रेता के दल का कोई सदस्य जिसे आवश्यकता के आधार पर पहुंच बनाने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया है; और

(ग) मामला दर मामला के आधार पर, कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई परामर्शी, विनियामक, सरकारी पदाधिकारी, संपरीक्षक और पणधारी।

[फा. सं. 2(5)/2022-सीएल]

अमित अग्रवाल, अपर सचिव

**MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th January, 2023

**S.O. 185(E)**.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby declares the computer resources relating to the Core Banking Solution, Real Time Gross Settlement, National Electronic Fund Transfer, Immediate Payment Service Switch, Automated Teller Machine Switch, Unified Payments Interface Switch and Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications Systems, being Critical Information Infrastructure of Kotak Mahindra Bank, and the computer resources of its associated dependencies, to be protected systems for the purpose of the said Act and authorises the following personnel to access the protected systems, namely:—

(a) any designated employee of the Kotak Mahindra Bank authorised in writing by the Kotak Mahindra Bank to access the protected system;

(b) any team member of contractual managed service provider or third-party vendor who have been authorised in writing by the Kotak Mahindra Bank for need-based access; and

(c) any consultant, regulator, Government official, auditor and stakeholder authorised in writing by the Kotak Mahindra Bank on case to case basis.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2(5)/2022-CL]

AMIT AGRAWAL, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2023.01.11 19:58:25 +05'30'